

69

वाणिज्य - जोधपुर डिस्कॉम/ 487

जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोडि/प्र.नि./मु.अ. (सी. एण्ड पी.)/अ.अ. (आर.ए. एव सी)/फा० /प्रे० २५५२ दिनांक २०.०३.०९

आदेश

विषय:- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में प्राथमिकता से बिजली पहुंचाना।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में बिजली की सेवा प्रदान करना अति आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार के मोहल्ले बिजली की सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

इन मोहल्लों में प्राथमिकता से बिजली पहुंचाने हेतु निम्न आदेश दिये जाते हैं:-

- (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का मोहल्ला वह बस्ती है जिसमें 75 प्रतिशत घर अनु०जाति/अनु०ज०जा० श्रेणी के हों। छोटे मोहल्लों में कम से कम 20 घर अनु०जाति/अनु०ज०जा० के लोगों के होने चाहिए।
- (2) इन मोहल्लों में प्राथमिकता से बिजली पहुंचाने के लिए अनु०जाति/अनु०ज०जा० के आवेदकों को सर्वोपरि प्राथमिकता (ओवर राइडिंग प्राइरिटी) दी जाये।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

सा इन्द्र

(एस.के. कुलश्रेष्ठ)

मुख्य अभियन्ता (सी एण्ड पी)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट:- यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेब साईट www.rajenergy.com/ www.jdvvn.com पर भी उपलब्ध है।

पेज 02 का 01